कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, RTI भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ

पत्रांकः 123/उ0प्र0सू0आ0/रजिब/2019 दिनांकः 15 :जुलाई:2019

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम–12 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत् आयोग मे प्राप्त होने वाले 'पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र' का विवरण आयोग के ECIS पर दर्ज कराने एवं उन्हें संबंधित सुनवाई कक्षो को भेजे जाने की प्रकिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1) 'पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र' आवेदक के द्वारा डाक प्राप्ति पटल पर, डाक के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत् रूप से प्राप्त कराये जाने के उपरॉत, उसे डाक पटल के कर्मचारी के द्वारा डाक संवीक्षा पटल को प्रेषित किया जायेगा।

2) संवीक्षा पटल के संबंधित कर्मचारी के द्वारा पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र को पृथक करके उसे पूर्ण अपील/शिकायत फीडिंग पटल–1 को प्रेषित किया जायेगा।

3) पूर्ण अपील/शिकायत फीडिग पटल–1 के सबन्धित कर्मचारी के द्वारा उक्त पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र पाप्त होने के उपरॉत निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:–

I) पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र में दिये गये विवरण के आधार पर वह कर्मचारी उस वाद, जिसमे पारित आदेश को वापस लिये जाने का निवेदन किया गया है, का विवरण यथा पंजीयन संख्या/वाद संख्या चिन्हित करेगा।

II) उक्त कर्मचारी ECIS खोलने के बाद case information entry वाली बटन दबायेगा। ड्राप डाउन के तीसरे नम्बर पर नया बटन 'restore case' दिया गया है। उसे दबाने के उपरॉत जो पेज खुलेगा, उसमे मूल वाद की पंजीयन सख्या दर्ज की जायेगी। उसके बाद सर्च बटन दबाना है। जैसे ही सर्च बटन दबाया जायेगा, मूल वाद, जिसमे पारित आदेश से क्षुब्ध होकर उसे वापस लिये जाने हेतु पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिया गया है, के समस्त विवरण दिखाई देगें। इसके बाद application nature में ड्राप डाउन बटन शिकायत/अपील के अतिरिक्त नया आप्सन "पुनः" जोड़ा गया है। 'पुनः' को सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे दिया गया save बटन दबाना है। बटन दबाते ही पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र का पंजीयन संख्या पी–1234 (उदाहरण के लिये) जनरेट होगा।

।।।) इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा प्रति दिन दर्ज किये गये पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्रों की सूची मुख्य पेज में reports वाले ड्राप डाउन के अंतिम विकल्प में दिखाई देगा, जिसका प्रिंन्ट आउट संबंधित कर्मचारी के द्वारा निकाला जायेगा। उक्त सूची को सुनवाई कक्ष वार, संबंधित पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्रों को संलग्न करते हुए भेजा जायेगा।

4) पूर्ण अपील फीडिंग पटल संख्या–1 से संबंधित सूची के साथ संलग्न पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने के उपरॉत संबंधित सुनवाई कक्ष के अहलमद के द्वारा निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जायेगीः–

।) सुनवाई कक्ष के अहलमद के द्वारा ECIS के मुख्य पृष्ठ पर case information entry का ड्राप डाउन बटन दबाया जायेगा, जिसके चौथे नम्बर पर विवरण restore case details में जाकर पंजीयन संख्या पी–1234 (उदाहरण के लिये) डालनी होगी तथा सर्च बटन दबाना होगा। इसके उपरॉत application nature में 'पुनः' वाला बटन दबाया जायेगा। इसके उपरॉत प्रत्येक सुनवाई कक्ष के रजिस्टर के अनुसार case number एवं year संबंधित लिपिक के द्वारा भरा जायेगा एवं नीचे की ओर अगली सुनवाई की तिथि प्रविष्ट की जायेगी तथा 'save' बटन क्लिक करने पर पुर्नस्थापना वाद सुनवाई हेतु नियत तिथि की सूची में सम्मिलित हो जायेगा।

।।) ऐसा प्रार्थना पत्र, यदि सुनवाई के उपरॉत स्वीकार हो जाता है, तो मूल वाद जिसमें पारित अंतिम आदेश को वापस लिये जाने का निवेदन किया गया है, को restore कर दिया जायेगा तथा पुर्नस्थापना वाद की पत्रावली मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में 'fixed for' आप्सन में जाकर पुर्नस्थापना वाद का ECIS में अन्तिम निस्तारण किया जायेगा।

iii) यदि पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो मूल वाद को restore नहीं किया जायेगा तथा पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र की पत्रावली को मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न करके विनष्टीकरण नियमावली के अधीन उसे विनष्ट कर दिया जायेगा, तथा पुर्नस्थापना वाद के निरस्त किये जाने का अंकन पुर्नस्थापना वाद के विवरण एवं ECIS में अंकित कर दिया जायेगा।

iv) पुर्नस्थापना वाद में पारित आदेश को नियमित रूप से आयेाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

v) इस आदेश के प्रभावी कियान्वयन हेतु समस्त सुनवाई कक्षों के अहलमदगण यह सुनिश्चित करेगें कि दण्ड अधिरोपित की गई पत्रावलियाँ संबंधित क्षेत्राधिकारवाले सुनवाई कक्षों में अविलम्ब अंतरित कर दी जायेगी।

vi) रजिस्ट्री से पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर यदि यह तथ्य सुनवाई कक्षों के अहलमदगण के संज्ञान में आता है कि संबंधित पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार किसी अन्य सुनवाई कक्ष को प्राप्त है तब उनके द्वारा उक्त पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र, अपने पीठासीन अधिकारी के माध्यम से सक्षम क्षेत्राधिकारवाले सुनवाई कक्ष में स्थानान्तरित किये जाने हेतु मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित कर दिया जायेगा।

5) यह आदेश मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

15/7/19

(प्रशान्त बिलगैयाँ)
प्रभारी रजिस्ट्रार

1) प्रतिलिपि मा0 मुख्य सूचना आयुक्त/समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण को सूचनार्थ।
2) सचिव,उ0प्र0 सूचना आयोग।
3) रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग।
4) संयुक्त रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग।
5) उप सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
6) वरिष्ठ कम्प्यूटर प्रोग्रामर।
7) निबन्धन अनुभाग के प्रत्येक कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
8) प्रत्येक सुनवाई कक्ष के पेशकार/अहलमदगण को अनुपालनार्थ
9) गार्ड फाईल।

15/7/19

(प्रशान्त बिलगैयाँ)
प्रभारी रजिस्ट्रार